न्यायालयः—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0) समक्षः—दिलीप सिंह

<u>आर.सी.एस.ए.300043 / 2015</u> संस्थित दिनांक—25.08.14

जमीला उर्फ सावित्रीबाई, उम्र—52 वर्ष पिता स्व. आदम खान (लक्ष्मण दास), जाति मुसलमान, निवासी—कोचेवाही, तहसील लांजी, जिला बालाघाट, की ओर से मुख्त्यार—आम रमेश राव कदम, उम्र—38 वर्ष, पिता स्व. श्री सम्पतराव कदम, जाति मराठा, निवासी—कम्पाउण्डरटोला बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट

.....वादी

-// <u>विरूद</u>्ध//-

1—ईस्माईल खॉ, उम्र—52 वर्ष पिता हसन खॉ, जाति मुसलमान, 2—सईदा बी, उम्र—48 वर्ष, पिता हसन खॉ, जाति मुसलमान, दोनों निवासी—वार्ड नंबर—8 तहसील बैहर, जिला बालाघाट, 3—तहसीलदार बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट, 4—म.प्र. राज्य तर्फे कलेक्टर महोदय, बालाघाट

<u> प्रितवादीगण</u>

-//<u>निर्णय</u>//-

(आज दिनांक-24.01.2018 को घोषित)

- 1. वादिनी ने यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक—24.05.12 की हक त्याग विलेख एवं तहसील न्यायालय बैहर के रा.प्र.क.—294 अ/6 वर्ष 2011—12 को शून्य घोषित कराने हेतु प्रस्तुत किया है।
- 2. वादिनी का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी के हक मालिकी की भूमि ख.नं. 424/1 रकबा 6.94½/2.810 हे., रकबा 424/18 रकबा 1. 00ए./0.405 हे. प.ह.नं. 17/1 मौजा, रा.नि.मं., तहसील बैहर, जिला बालाघाट में स्थित है। वादिनी के परदादा हसन अजी मूल पुरूष थे, उनके पुत्र अलादत खाँ थे, अलादत खाँ की पत्नी का नाम सुबरातिन उर्फ फतसियां था, जिससे नूर खाँ, फत्ते खाँ, आदम खाँ, हसन खाँ, मोहम्मद खाँ एवं सरदार खाँ उत्पन्न हुए थे। आदम खाँ की पत्नी सुभद्रा उर्फ जिन्न बी थी, जिसकी एकमात्र संतान वादिनी है। अलादत खाँ की शेष संताने अविवाहित रहकर लाऔलाद फौत हुई

थी। इस कारण वादिनी वादपत्र के पैरा—2 में वर्णित भूमि पर बतौर वारसान मालिक होकर काबिज हुई थी। उक्त भूमि में से ख.नं. 424/1 रकबा 1. 04 एकड़ तथा ख.नं. 424/18 रकबा 0.33 एकड़ कुल 1.37 एकड़ भूमि का पंजीयत हक त्याग दस्तावेज धोखा देकर प्रति.क.1 एवं 2 द्वारा वादिनी से अपने हक में दिनांक—24.05.2012 को निष्पादित करवा लिया था। उक्त दस्तवेज में उल्लेखित भूमि प्रकरण में विवादित भूमि है।

प्रकरण में वादिनी ने उसके वादपत्र में यह भी बताया है कि प्रति.क.1 व 2 द्वारा उक्त कथित पंजीयत हक त्याग दस्तावेज के माध्यम से वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों से वादिनी का नाम खारिज किये जाने के लिए तहसीलदार बैहर के न्यायालय में आवेदन दिया था उसके पश्चात् वादिनी को दिनांक—04.08.12 को न्यायालय का नोटिस प्राप्त हुआ, तब वादिनी दिनांक-06.08.12 को तहसीलदार बैहर के न्यायालय में उपस्थित हुई थी, तब उक्त कथित पंजीयत हक त्याग दस्तावेज की प्रति वादिनी को प्राप्त हुई थी। विवादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में वादिनी के अतिरिक्त अन्य मृतक वारसानों का नाम दर्ज चले आने के कारण वादिनी उसकी भूमि को विक्रय नहीं कर पा रही थी। प्रति.क.1 द्वारा वादिनी से कहा गया था कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में वादिनी के पिता के अलावा उसके चाचा वगैरह की मृत्यु के पश्चात् भी उनके नाम दर्ज चलें आ रहे हैं, जब तक फौती नहीं कटेगी वादिनी उक्त भूमि को विक्रय नहीं कर सकती है। प्रति.क.1 ने वादिनी के अनपढ़ होने के कारण वादिनी से उप-पंजीयक कार्यालय में प्रति.क.1 एवं 2 के पक्ष में दिनांक-24.05.2012 को हक त्याग विलेख निष्पादित करा लिया था। इसके पश्चात् प्रति.क.1 व 2 द्वारा वादिनी को आश्वासन दिया था कि उनके द्वारा वादपत्र की कंडिका-2 में उल्लेखित भूमियों के राजस्व प्रलेखों में फौती दर्ज कराकर नामांतरण के बाद एकमात्र वादिनी का नाम दर्ज करवा दिया जावेगा, किन्तु वादिनी को तहसीलदार बैहर के न्यायालय से नामांतरण प्रकरण की सूचना प्राप्त हुई थी और दिनांक-06.08.12 को वादिनी को ज्ञात हुआ कि उसे धोखा देकर प्रति.क. 1 द्वारा उक्त कथित पंजीयत हक त्यागनामा दस्तावेज निष्पादित करा लिया गया है और प्रति.क.1 एवं 2, प्रति.क.3 की सहायता से विवादग्रस्त भूमि का नामांतरण कराकर अन्य व्यक्ति को विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार उक्त दस्तावेज वादिनी को धोखा

3

देकर निष्पादित कराया गया है। वादिनी ने उसके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उसके पक्ष में डिकी दिये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में प्रति.क.-1, 2 ने वादिनी के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर वादिनी के वादपत्र को अस्वीकार कर अपने विशिष्ट कथन में बताया है कि विवादित भूमि प्रति.क 1 एवं 2 को विरासत में प्राप्त हुई थी। लगभग ढाई-तीन वर्ष पूर्व वादिनी ग्राम कोचेवाही(लांजी) से बैहर आकर अपने को आदम खां की पुत्री होना बता रही थी। आदम खां की एक पुत्री जमीला नाम की थी, जो उसकी पैदाईश के समय से बैहर में नहीं रही थी। उसके द्वारा व अन्य लोगों के द्वारा बताया गया कि वादिनी ही आदम खां की पुत्री है। इस कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी पर विश्वास कर उसे अपने साथ रखा था। उसी बीच वादिनी ने प्रतिवादीगण से लगभग 1,40,000 / – रूपये प्राप्त किये थे। वादिनी द्वारा कहा गया था कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का ही हक एवं कास्त कब्जा तथा मकान हाता–बाड़ी बना हुआ है। उक्त भूमि पर वह अपने हिस्से की कोई भूमि प्राप्त नहीं करना चाहती। इस कारण वादिनी द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में हक त्यागनामा निष्पादित करने का कहा था। प्रति.क. 1 एवं 2 के माता—पिता की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादीगण के मामा फत्ते खां, आदम खां, हसन खां, नूर खां, मोहम्मद खां, सरदार खां की भी मृत्युं हो चुकी है। उक्त संपूर्ण भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा भूमि सुधार कर धान की फसल लगाकर कास्त की जाती रही है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का रहवासी मकान था। वादिनी द्वारा अपनी स्वेच्छा से बिना किसी बहकावे, धोखे में आकर स्वयं उसके हिस्से की संपूर्ण भूमि ख.नं. 424 / 1 में से 1.04 ए. एवं. ख.नं. 424 / 18 में से 0.33ए. भूमि का हक त्यागनामा प्रतिवादीगण के पक्ष में लिखवाकर उप-पंजीयक कार्यालय बेहर में दिनांक-23.05.2012 को निष्पादित किया था। वादिनी के पिता आदम खां की बहन मु. फातिमा बी की संतान प्रति.क. 1 एवं 2 हैं। दोनों पक्षों के मध्य आपसी भाईचारा होने के कारण वादिनी द्वारा उसकी आवश्यकता के कारण प्रति.क.1 एवं 2 से उक्त राशि प्राप्त कर ली थी। वादिनी द्वारा प्रति.क.1 एवं 2 के पक्ष में गवाहों के समक्ष हक त्यागनामा निष्पादित कराया था। उक्त हक त्यागनामा वादिनी पर बंधनकारक है। उक्त हक त्यागनामा के बाद प्रति.क.1 एवं 2 उक्त संपूर्ण भूमि पर एकमात्र मालिक एवं कास्त कब्जे में चले आ रहे हैं। प्रति.क.1 एवं 2 ने वादिनी का वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

4 <u>आर.सी.एस.ए 300043 / 2015</u>

- 5. प्रकरण में प्रति.क.—3 ने वादिनी के वादपत्र का जवाब प्रस्तुत कर वादिनी के वादपत्र को अस्वीकार कर उसके विशिष्ट कथन में बताया है कि प्रतिवादीगण द्वारा तहसीलदार बैहर के न्यायालय में विधिवत् राजस्व अभिलेख के साथ आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था। आवेदन प्रस्तुति के पश्चात् प्रकरण का पंजीयन किया जाकर प्रकरण सुनवाई में लेकर प्रतिपक्ष को सुनवाई में आहुत किया गया था। सुनवाई के दौरान विधि के सम्यक् अनुक्रम का पालन करते हुए पदीय कर्तव्य के निर्वहन में प्रकरण में विधि संगत आदेश पारित किया गया एवं वादिनी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए उसके द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद प्रकरण में संलग्न दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर विधि संगत आदेश पारित किया गया है, जो कि वादी पर बंधनकारक नहीं है। ऐसी स्थिति में वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किया जावे।
- 6. प्रकरण में प्रति.क.—4 दिनांक—13.10.14 को एकपक्षीय हो गया है। इस कारण प्रति.क.—4 की ओर से वादिनी के वादपत्र का जवाबदावा नहीं दिया गया है।
- 7. प्रकरण में तत्कालिन विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निम्निलिखित वादप्रश्न विरचित किये थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए।

	, - 1 (1	1
क मांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी के हक—मालिकी एवं कब्जे की खसरा नं. 424/1 रकबा 6. 94½ तथा खसरा नं. 424/18 रकबा 1. 00 एकड़ स्थित मौजा बैहर प.ह.नं. 17/1 तहसील बैहर जिला बालाघाट म. प्र. स्थित भूमि प्रतिवादी कृ. 1, 2 के पक्ष में हक त्याग विलेख दिनांक—24.05. 2012 अवैध एवं शून्य है ?	
2	क्या तहसीलदार बैहर द्वारा पारित आदेश दिनांक—27.01.2012 राजस्व प्रकरण क. 294 अ / 6 वर्ष 2011—12 अवैध एवं शून्य है ?	
3	सहायता एवं व्यय ?	वादिनी का वादपत्र निर्णय की कंडिका–19 के अनुसार निरस्त किया गया है।

वादप्रश्न कमांक-01 व 02 का निराकरणः-

- 8. साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण दोनों वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- वादिनी जमीला उर्फ सावित्रीबाई वा.सा.1 ने उसके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र में अपने अभिवचन के अनुरूप कथन करते हुए बताया है कि भूमि ख. नं. 424 / 1 रकबा 6.24 1/2 / 2.810 हे. ख.नं. 424 / 18 / 2 रकबा 1.00 / 0.405 हे. भूमि प.हं.नं. 17/1 रा.नि.मं. बैहर, जिला बालाघाट में वादिनी के स्वत्व एवं आधिपत्य की है। वादिनी के परदादा हसन अली थे, जिनका एकमात्र पुत्र अलादत खाँ था। अलादत खाँ की पत्नी का नाम सुबरातीन बी उर्फ फतसिया थी, जिनकी नूर खॉ, फत्ते खॉ, आदम खॉ, हसन खॉ, मोहम्मद खॉ एवं सरदार खाँ थे। आदम खाँ एवं उसकी पत्नी सुभद्रा उर्फ जिन्न बी की वादिनी एकमात्र संतान है। इसके अतिरिक्त अलादत खाँ की शेष संताने अविवाहित लॉ-औलाद फौत हो चुकी है। दिनांक-24.05.2012 को प्रति.क.1 एवं 2 ने धोखे से वादिनी से ख.नं. 424 / 1 रकबा 1.04 ए. तथा ख.नं. 424 / 18 रकबा 0.33 ए. कुल 1. 37 एकड़ भूमि का पंजीयन करवा लिया था। प्रति.क.1 एवं 2 द्वारा उक्त पंजीयत हक त्याग दस्तावेजों के द्वारा भूमि के राजस्व प्रलेख से वादिनी का नाम तहसीलदार बैहर के न्यायालय में निरस्त करने के लिए आवेदन दिया था। दिनांक—04.08.12 को न्यायालय से नोटिस मिलने के बाद एवं दिनांक-06.08.12 को न्यायालय में उपस्थित होने के बाद वादिनी को उक्त जानकारी प्राप्त हुई थी।
- 10. वादिनी जमीला उर्फ सावित्रीबाई वा.सा.1 ने उसकी साक्ष्य में यह भी बताया है कि साक्षी विवादग्रस्त भूमि में से उसकी आवश्यकता के लिए कुछ भूमि विक्रय करना चाहती थी। राजस्व अभिलेखों में साक्षी के अतिरिक्त मृतक एवं अन्य वारसानों का नाम दर्ज होने के कारण साक्षी भूमि विक्रय नहीं कर पा रही थी। प्रति.क.1 भूमि विक्रय करने का व्यवसाय करता है। वह साक्षी से मिला था एवं साक्षी से कहा था कि सभी वारसानों का नाम निरस्त करना पड़ेगा, तब भूमि विक्रय हो सकती है एवं साक्षी से कहा था कि वह जैसा कहेगा कार्यालय में चलकर वैसी कार्यवाही करनी पड़ेगी। साक्षी के अशिक्षित होने का फायदा उठाकर धोखे से साक्षी से पंजीयत विलेख संपादित करवा लिया था। साक्षी ने प्रति.क.1 की बात पर विश्वास कर प्रति.क.1 एवं 2 के पक्ष

में दिनांक—24.05.12 को विलेख में अंगूठा अंकित कर दिया था। प्रति.क.1 एवं 2 साक्षी को धोखे में रखकर निष्पादित पत्र के द्वारा नामांतरण करने एवं भूमि विकय करने का प्रयास कर रहें हैं। प्रति.क.1 एवं 2 द्वारा तहसीलदार बैहर के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर अपने पिता का नाम वादिनी के परदादा हसन अली के नाम से मिलते—जुलते होने का फायदा उठाकर स्वयं को उनका वारसान दर्शाते हुए दिनांक—27.04.12 को अपने पक्ष में आदेश पारित करवा लिया है, जिसकी अपील भी अपील न्यायालय ने भी निरस्त कर दी है। प्रति.क. 1 एवं 2 द्वारा साक्षी को धोखे में रखकर भूमि हड़पने की नियत से उक्त हक त्याग विलेख करवाया है, जो निरस्त किया जावे। पवन सोनी वा.सा.2, हरिओम पटेरिया वा.सा.3 ने वादिनी के अभिवचनों के अनुरूप मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में कथन कर वादिनी की साक्ष्य की पुष्टि की है। वादिनी ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी—1 लगा. 4 के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

11. ईरमाईल खॉ प्र.सा.1 ने वादिनी की साक्ष्य का खण्डन करते हुए अपने अभिवचन के अनुरूप कथन करते हुए मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में बताया है कि विवादित भूमि प्रति.क.1 एवं 2 को विरसतन हक में प्राप्त भूमि है। वादिनी ने ग्राम कोचेवाही लांजी से बैहर आकर स्वयं को आदम खाँ की पुत्री बताया था, परंतु आदम खॉ की एक पुत्री जमीला नाम की थी, जो जन्म के समय से बैहर में नहीं रही थी। वादिनी एवं अन्य लोगों के द्वारा बताया गया था कि वादिनी आदम खॉ की पुत्री है, इस बात पर वादिनी पर विश्वास कर साक्षी ने उसे अपने साथ रखा था, तब वादिनी के द्वारा 1,40,000 / –रूपये प्राप्त कर लिये थे एवं वादिनी कहने लगी थी कि विवादित भूमि पर साक्षी का हक, कास्त, कब्जा है तथा मकान हाताबाड़ी बनी हुई है। उक्त भूमि पर से वह अपने हिस्से की भूमि प्राप्त नहीं करना चाहती है, इस कारण वादिनी के द्वारा प्रति.क.2 के पक्ष में हक त्यागनामा निष्पादित करने का कहा था। साक्षी के माता-पिता की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। साक्षी के मामा फत्ते खॉ, आदम खॉ, हसन खॉ, नूर खॉ, मोहम्मद खॉ, सरदार खॉ की भी मृत्यु हो गई है। साक्षी ने विवादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य बताया है। वादिनी ने उसकी स्वेच्छा से उसके हिस्से की संपूर्ण भूमि ख.नं. 424/1 में से रकबा 1.04 ए. एवं ख.नं. 424 / 18 में से 0.33ए. भूमि का हक त्यागनामा दिनांक—23.05.12 को निष्पादित कर उप-पंजीयक कार्यालय से पंजीयन कराया था। वादिनी के पिता की बहन मु. फातिमा बी की प्रति.क.1 एवं 2 संतान है। आपसी भाईचारा होने

के कारण वादिनी उसकी आवश्यकता के लिए उक्त राशि प्रति.क.1 एवं 2 से प्राप्त कर चुकी है। वादिनी बैहर में नहीं रहती है। इस कारण वादिनी ने संपूर्ण भूमि का हक त्यागनामा प्रति.क.1 एवं 2 के पक्ष में निष्पादित कराया था एवं हक त्यागनामा के आधार पर प्रति.क. 1 एवं 2 विवादग्रस्त भूमि पर मालिक एवं काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे हैं। साक्षी उक्त भूमि पर मकान बनाकर निवास करता है एवं शेष बची भूमि पर कास्त करता है। साक्षी ने उसकी साक्ष्य के पैरा—2 में जवाबदावे के पैरा—14 में उल्लेखित खानदानी सिजरा का उल्लेख किया है। साक्षी ने उसके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य की कंडिका—3, 4 में जवाबदावा के अनुरूप कथन किये हैं। प्रति.क.1 एवं 2 ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी–1 लगा. 10 के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। 12. सलीम खान प्र.सा.२ ने उसके मुख्यपरीक्षण की साक्ष्य में ईरमाईल खॉ प्र.सा.1 की साक्ष्य की पुष्टि करते हुए बताया है कि वादिनी ने शामिल शरीक की भूमि में से उसके हिस्से की 1/3 की भूमि ख.नं. 424/1 रकबा 3.3 ए. ख.नं. 424 / 18 रकबा 1.00 ए. में से 0.33 ए. कुल 1.37 ए. मौजा बैहर, प.ह.नं. 17 / 1 रा.नि.मं. एवं तह. बैहर की भूमि दिनांक-23.05.12 के हक त्यागनामा के द्वारा प्रति. क. 1 एवं 2 के पक्ष में हक त्याग दिया था। उक्त हक त्यागनामा में वादी जमीला ने निशानी अंगूठा अंकित कर निष्पादित किया था। उक्त हक त्यागनामा दिनांक—24.05.12 को उप—पंजीयक कार्यालय बैहर में पंजीयत कराया गया था, जिसके गवाह साक्षी एवं पवन सोनी थे। उक्त हक त्यागनामा में इस्माईल खॉ एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये थे। हक त्यागनामा वादिनी ने स्वेच्छया से निष्पादित किया था।

13. एम.वाय. शेख प्र.सा.3 ने उसके मुख्यपरीक्षण की शपथपत्र की साक्ष्य में प्रति.क.1 एवं 2 के अभिवचन के अनुरूप कथन कर ईरमाईल खाँ प्र.सा.1 की साक्ष्य की पुष्टि करते हुए बताया है कि दिनांक—23.05.2012 को वादिनी प्रति. क.1 एवं 2 अपने साथ सलीम खान एवं पवन सोनी को लेकर उक्त साक्षी के पास विवादग्रस्त भूमि का हक त्यागनामा दस्तावेज संपादित कराने आए थे। वादिनी ने साक्षी को बताया था कि वह बिना राशि प्राप्त किये भूमि का हक एवं कब्जा त्याग रही है, तब उक्त साक्षी ने दिनांक—23.05.2012 को सभी की उपस्थिति में उक्त हक त्यागनामा लिखा था, जिसमें वादिनी एवं प्रति.क. 2 ने अपने निशानी अंगूटा लगाए थे। प्रति.क.1 एवं उक्त हक त्यागनामा के साक्षी सलीम खान, पवन सोनी ने उक्त हक त्यागनामा पर अपने हस्ताक्षर किये थे।

उक्त हक त्यागनामा निष्पादन के पश्चात् उसके पक्षकारों ने दिनांक—24.05. 2012 को उप—पंजीयक कार्यालय बैहर में उक्त हक त्यागनामा को रजिस्टर्ड कराया था।

- वादिनी एवं प्रति.क.1 लगा. 3 के तर्क पर विचार किया जाए तो वादिनी जमीला उर्फ सावित्री बाई वा.सा.१ ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—11 में यह स्वीकार किया है कि वह रमेश राव कदम को नहीं जानती है। उसने किसी को मुख्तारआम बनाकर दावा पेश नहीं किया है। स्वयं के द्वारा न्यायालय में वादपत्र पेश करना बताया है। वादिनी की साक्ष्य के अनुसार उसने मुख्तारआम रमेश राव कदम से यह दावा प्रस्तुत नहीं कराया था। जबकि वादिनी का वादपत्र वादिनी की ओर से उसके मुख्तारआम रमेश राव कदम ने यह दावा प्रस्तुत किया है। वादिनी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—12 में यह स्वीकार किया है कि हक त्याग दस्तावेज जिसे वह गलत बता रही है। हक त्याग के समय ख.नं. 424 / 1 रकबा 3.13 ए. एवं ख.नं. 424 / 18 रकबा 3.00 ए. भूमि बची थी। वादिनी को अपने पूर्वजों की सही जानकारी नहीं है, क्योंकि वह बैहर कभी नहीं रही। वादिनी की साक्ष्य से ही प्रदर्श पी–1 का हक त्यागनामा संपादित होने का समर्थन होता है एवं वादिनी की साक्ष्य से ईस्माईल खाँ प्र.सा. 1 की इस साक्ष्य का समर्थन होता है कि वादिनी बैहर में उसके जन्म के समय से नहीं रही। वादिनी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-14 में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी-1 के हक त्याग दस्तावेज के ए से ए भाग पर उसके फोटो लगे हैं एवं सी से सी भाग पर उसके निशानी अंगूठा अंकित है। वादिनी की साक्ष्य से इस बात का भी समर्थन होता है कि प्रदर्श डी-1 के हक त्याग दस्तावेज पर उसका फोटो एवं अंगूठा लगा है।
- 15. प्रकरण में वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी—1 की आदेशपत्रिका से यह दर्शित होता है कि वादिनी ने व्यवाहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के न्यायालय में दिनांक—05.11.12 को ईस्माईल खॉ, सईदा बी, अजीत टिर्की के विरूद्ध विवादित भूमि के संबंध में वादपत्र प्रस्तुत किया था एवं उक्त दावा दिनांक—27. 03.2014 को न्यायालय द्वारा नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता के साथ वादिनी को वापस किया था, जिससे संबंधित आदेशपत्रिका प्रदर्श पी—1, वादपत्र प्रदर्श पी—2, वादपत्र के जवाबदावा की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदर्श पी—3 है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत किये गए वर्ष 1996 लगा. 2001 के खसरा पांचसाला प्रदर्श पी—4 में विवादग्रस्त भूमि पर नूर खॉ, मोहम्मद खॉ, हसन खॉ,

सरदार खॉ, वादिनी जमीला, जिन्न बी, सुबरातन बी, उर्फ फतिसया का नाम दर्ज है। नूर खॉ, हसन खॉ, अलादत खॉ, मुहम्मद खॉ, सरदार खॉ ने भूमि सर्वे क. 400 रकबा 0.28, भूमि सर्वे क. 424 रकबा 12.18, भूमि सर्वे क. 402/2 रकबा 0.06 कुल 12.52 ए. भूमि के संबंध में वादपत्र प्रस्तुत किया था, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी—2 है एवं वादपत्र का जवाबदावा प्रदर्श डी—3 है। उक्त वादपत्र का निर्णय प्रदर्श डी—4 एवं डिकी प्रदर्श डी—5 है।

- प्रकरण में प्रति.क.1 एवं 2 द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श डी-4 के निर्णय एवं प्रदर्श डी—5 की डिकी से यह दर्शित है कि प्रदर्श डी—4 के निर्णय के द्वारा उक्त निर्णय के वादीगण को मृतक हसन अली की भूमि का 3/4 का हकदार एवं उक्त वाद की वादग्रस्त जमीन पर उक्त प्रकरण की प्रति.क.1 के नाम के साथ वादग्रस्त जमीन पर शामिल-सरीक रूप से नाम दर्ज करने के बारे में लिखा था। प्रदर्श डी–6 की संशोधन पंजी के द्वारा प्रदर्श डी–2 के वादपत्र में उल्लेखित भूमि निर्णय के अनुसार 3/4 का हिस्सा नूर खॉ आदि को प्राप्त हुआ था। दिनांक-08.02.12 को ईस्माईल ने विवादित भूमि पर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य के संबंध में फौती दाखिला के लिये प्रदर्श डी-7 का आवेदन दिया था। तहसीलदार बैहर के न्यायालय के प्रकरण की राजस्व निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श डी-8 है। प्रदर्श डी-9 के खसरा पांचसाला में भूमि सर्वे क. 424 / 28 रकबा 0.072 हे. भूमि पर आरीफ का नाम दर्ज है। प्रदर्श डी–10 की संशोधन पंजी में प्रदर्श डी-2 के वादपत्र में उल्लेखित भूमि का उल्लेख है। सुभद्रा उर्फ जिन्न बी, वादिनी की माँ थी। प्रदर्श डी-1 के हक त्याग दस्तावेज में हक त्यागकर्ता के रूप में वादिनी का नाम एवं हक प्राप्तकर्ता के रूप में प्रति.क.1 एवं 2 के नाम लिखें है। उक्त दस्तावेजों में यह लिखा है कि वादग्रस्त भूमि में से वादिनी ने उसके हिस्से की 1.37 ए. भूमि का हक प्रति.क. 1 एवं 2 के पक्ष में त्यागा था।
- 17. वादिनी के प्रदर्श पी—1 के हक त्यागनामा के साक्षी सलीम खान एवं पवन सोनी है। वादिनी ने उसके पक्ष में केवल पवन सोनी की साक्ष्य कराई है। पवन सोनी वा.सा.2 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—6 में स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी—1 के दस्तावेजों के पंजीयन के समय बैहर रजिस्ट्रार कार्यालय में उसने हस्ताक्षर किये थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—7 में स्वीकार किया है कि उक्त दस्तावेजों के पंजीयन के समय वादिनी एवं प्रति.क. 1 एवं 2 एवं सलीम खान उपस्थित थे। यह साक्षी वादिनी का साक्षी है। इस साक्षी ने

उक्त दस्तावेजों को वादीगण की उपस्थित में बैहर रिजस्ट्रार कार्यालय में निष्पादित होना बताया है। वादिनी ने प्रदर्श पी—1 के हक विलेख के दूसरे साक्षी सलीम खान को अपनी ओर से साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं किया था। उक्त साक्षी को प्रतिवादीगण ने उपस्थित कर साक्ष्य कराई थी। सलीम खान प्र. सा.2 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—5 में यह स्वीकार किया है कि हक त्याग विलेख में ख.नं. 424/1 रकबा 3.13 ए. में से 1.04 ए. ख.नं. 424/18 रकबा 1.00 ए. में से 0.33 ए. भूमि का भूमि का हक त्याग का दस्तावेज प्रदर्श डी—1 के रूप में लिखा गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—6 में बताया है कि प्रदर्श डी—1 का दस्तावेज वादिनी का हक त्याग विलेख ने 1/3 का हक व हिस्सा होने से उसने हक त्याग विलेख लिखने के संबंध में लिखापढ़ी की थी। साक्षी ने यह भी बताया है कि उक्त दस्तावेज में वादीगण के पिता अदालत खाँ लिखा है, वह सही है।

18. एम.वाय. शेख अधिवक्ता प्र.सा.३ ने प्रदर्श पी—1 के दस्तावेजों को लिखा था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–1 का दस्तावेज उनके द्वारा लिखा गया था। प्रदर्श पी-1 के दस्तावेज पर एच से एच भाग पर उन्होंने अधिवक्ता होने के अधिकार से हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने उक्त दस्तावेजों को दिनांक-24.05.12 को उप-पंजीयक कार्यालय बैहर में संपादित होना स्वीकार किया है। साक्षी ने इस दस्तावेज को लिखना बताया है। प्रदर्श डी–1 के दस्तावेज के गवाह सलीम खान की साक्ष्य से यह माना जाता है कि उक्त दस्तावेज बैहर उप-पंजीयक कार्यालय में रजिस्टर्ड हुआ था। यदि प्रदर्श डी-1 का दस्तावेज धोखे से लिखाया गया होता, तो वादिनी उप-पंजीयक कार्यालय बैहर में उपस्थित नहीं होती। वादिनी की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि उक्त दस्तावेज वादिनी से प्रतिवादीगण ने धोखे से निष्पादित कराया था। प्रदर्श डी-1 का हक त्याग दस्तावेज रजिस्टर्ड दस्तावेज हैं। उक्त दस्तावेज को लिखने वाले एम.वाय. शेख प्र.सा.3 एवं उक्त दस्तावेज के साक्षी सलीम खान प्र.सा.२ ने प्रति.क. 1 एवं २ के साक्षी के रूप में उक्त दस्तावेज को संपादित होने के बारे में बताया है एवं वादिनी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—14 में यह स्वीकार किया है कि वह रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रदर्श पी-1 का हक त्याग दस्तावेज निष्पादित करने के लिए गई थी। वादिनी की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि उसने प्रदर्श डी–1 का हक त्याग दस्तावेज रजिस्ट्रार कार्यालय में निष्पादित किया था। इस कारण यह

प्रमाणित नहीं माना जाता है कि दिनांक—24.05.12 का प्रदर्श डी—1 का हक त्याग दस्तावेज अवैध एवं शून्य है। इस कारण तहसीलदार बैहर का दिनांक—27.01.12 का राजस्व प्रकरण क. 294 अ / 6 वर्ष 2011—12 अवैध एवं शून्य माना जाना उचित नहीं है। वादप्रश्न क.1 एवं 2 का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" के रूप में दिया जाता है।

वादप्रश्न कमांक-3 सहायता एवं व्यय

- 19. प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में वादिनी अपना वादपत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रमाणित करने में असफल रही है। अतः वादिनी का वादपत्र निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप निम्न आशय की डिकी पारित की जाती है:—
- 1— उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
- 2— अभिभाषक शुल्क नियामानुसार देय होगी।

तद्ानुसार आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

> सही / – (दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग—1, हिं तहसील बैहर, जिला—बालाघाट तहसील

मेरे बोलने पर टंकित।

सही / – (दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग-1, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट